यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी के माह दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अनूप सिंह चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2019 से 18.01.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.11.2017 से 14.11.2017 तक श्री शशि कान्त पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 04/2014 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाना है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण पौड़ी जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	125.71	121.38	4.33	4399.35	4137.85	261.5
2017-18*	-	-	121.12	95.01	26.02	4672.71	4442.02	230.69
2018-19* (up to 11/2018)	-	-	40.63	31.46	9.17	2252.44	1819.63	432.81

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	653.16	653.16	611.04	611.04	274.64	265.73
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	231.34	130.84	162.53	162.11	90.37	6.93
अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	13.87	13.47	36.61	19.21	27.15	0.00
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	122.09	0.29	38.40	38.33	25.81	0.00
मेरिट उच्चिकृत छात्रवृति	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन→निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन →जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी ।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शादी विवाह अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से 43 लाभार्थियों हेतु ` 21.50 लाख की धनराशि स्वीकृत कराया जाना।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक, बी पी एल विधवा कार्ड धारक, बी पी एल आवेदनकर्ता एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को ` 50,000/- की एकमुस्त सहायता लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रदान की जाती है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की 01 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक की शादी विवाह से संबन्धित आवेदन स्वीकृत किए जाने थे तथा प्रत्येक आवेदक द्वारा मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण पत्र संबन्धित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात भुगतान की कार्यवाही माह मार्च में प्रारम्भ की जाएगी। यदि आवेदक शादी का प्रमाण-पत्र संबन्धित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करवाता तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस दशा में आवेदक का आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जनपद स्तर पर प्राप्त कुल 240 ऑनलाइन आवेदनों पर जिलाधिकारी, पौड़ी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। जबकि उक्त 240 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष उक्त वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कुल बजट ` 91.50 लाख के सापेक्ष 183 लाभार्थियों को ही प्रति लाभार्थी ` 50,000/- की दर से लाभान्वित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा माह जून 2018 में अनुमोदन प्रदान किया गया।

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक स्वीकृत 183 लाभार्थियों के सापेक्ष 140 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका था जबकि 43 लाभार्थियों द्वारा ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण संबन्धित लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया जा सका था। जिससे स्पष्ट है कि 43 आवेदकों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत शादी प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा (प्रथम सप्ताह, मार्च 2018) के व्यतीत होने के 10 माह बाद भी ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, पौड़ी को उपलब्ध नहीं कराये गए थे तथा कार्यालय स्तर पर ` 21.50 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखी गई थी।

उक्त विसंगति के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कार्यालय स्तर पर वर्ष 2017-18 हेतु जिन आवेदकों के मार्च 2018 के प्रथम सप्ताह तक विवाह-प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त हुए थे उन आवेदनों पर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का अनुमोदन इस प्रत्याशा में प्राप्त किया गया था कि सभी स्वीकृत आवेदकों के विवाह-प्रमाणपत्र शीघ्र ही इस कार्यालय को प्राप्त हो जाएंगे परंतु आतिथि तक 43 आवेदकों के विवाह-प्रमाणपत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। भविष्य में उन्हीं आवेदकों के आवेदन स्वीकृत कराये जाएंगे जिनके विवाह-प्रमाणपत्र मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त हो जाएंगे।

इकाई का उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि इकाई स्तर पर उक्त योजना के अंतर्गत से 43 लाभार्थियों जिनके आवेदन मार्च 2018 के प्रथम सप्ताह तक विवाह-प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्वतः ही निरस्त हो जाने चाहिए थे, हेतु अनियमित रूप ` 21.50 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई गई।

अतः ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल स्तर से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अनियमित रूप से 43 लाभार्थियों हेतु ` 21.50 लाख की धनराशि स्वीकृत कराये जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2- प्राप्त शासकीय धनराशियों के लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल, के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि समान्यतः इकाई स्तर पर गौरादेवी कन्याधन योजना, विधवा पेंशन तथा रा. सा. सा. कार्यक्रम,विकलांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना आदि के लाभार्थियों को धनराशि उनके बैंक खाते में कोषागार से सीधे ऑनलाइन अंतरित की जाती है परंतु कुछ संबन्धित लाभार्थियों के बैंक खाते निष्क्रिय होने अथवा आधार से लिंक न होने के कारण उक्त वापस आई धनराशि को इकाई स्तर पर संचालित 08 बैंक खातों में जमा किया जाता है जिसको आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात पुनः संबन्धित लाभार्थियो के बैंक खातों में स्थांतरित किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान आगे यह पाया गया कि इकाई स्तर पर संचालित किए जा रहे दो बैंक खातों में दिसंबर 2018 के अंत में ` 357.29 लाख की धनराशि (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पौड़ी के बैंक खाता संख्या 10846934671 में धनराशि `66.30 लाख जो विकलांग पेंशन, छात्रवृति योजना एवं अन्य योजनाओं से संबन्धित थी तथा नैनीताल बैंक, पौड़ी के खाता संख्या 1011 में धनराशि `290.99 लाख जो अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना एवं अन्य वर्षों की अवशेष लंबित धनराशि से संबन्धित) जमा थी परंतु कार्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे- पार्ट-1 पंजिका (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट अंकन पंजिका), पार्ट-2 पंजिका (विभिन्न योजनाओं हेतु बजट व्यय पंजिका), विभिन्न योजनाओं पर व्यय नियंत्रण हेतु लेज़र का रखरखाव नियमित रूप से लेखापरीक्षा अवधि में नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप यह ज्ञात नहीं था कि उक्त धनराशि में से किस योजना से संबन्धित कितनी धनराशि है तथा उक्त धनराशि किस अवधि से बैंक खातों में अवरुद्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई स्तर पर उक्त महत्वपूर्ण लेखा-अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित न किए जाने के संबंध में इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल, द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त होने के कारण नियमानुसार उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा सका तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात शीघ्र ही उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव कार्यालय स्तर पर करते हुए उक्त विसंगति को दूर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर शासकीय धनराशियों के उचित लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे- पार्ट-1 पंजिका (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट अंकन पंजिका), पार्ट-2 पंजिका (विभिन्न योजनाओं हेतु बजट व्यय पंजिका), विभिन्न योजनाओं पर व्यय नियंत्रण हेतु लेज़र का रखरखाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जबकि इकाई स्तर पर विभागीय शिथिलतावश ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इकाई स्तर पर संचालित किए जा रहे दो बैंक खातों में दिसंबर 2018 के अंत में पड़ी ` 357.29 लाख की धनराशि किस योजना से संबन्धित कितनी धनराशि है तथा उक्त धनराशि किस अवधि से बैंक खातों में अवरुद्ध है,कार्यालय स्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल स्तर पर प्राप्त शासकीय धनराशियों के लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव न किए जाने के परिणामस्वरूप से ` 357.29 लाख में किस योजना से संबन्धित कितनी धनराशि है एवं किस अवधि से बैंक खाते में अवरुद्ध है, कार्यालय स्तर सुनिश्चित नहीं किए जा सकने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-3 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबन्धित ` 72.72 लाख की धनराशि तीन वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरुद्ध रखे जाने के संबंध में ।

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, पौड़ी के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 में उक्त योजना के अंतर्गत 70 निर्माण कार्यों हेतु ` 314.34 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय स्तर पर उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी के वैयक्तिक खाता (Personal Ledger Account) में रखते हुए संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक ` 209.91 लाख कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करते हुए 70 निर्माण कार्यों के सापेक्ष 47 निर्माण कार्य पूर्ण कराये गए तथा शेष धनराशि ` 104.43 लाख मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी के वैयक्तिक खाता (Personal Ledger Account) में अवरुद्ध रही। जिसमे से ` 58.59 लाख की धनराशि मार्च 2018 में विभागीय प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दी गई। इस प्रकार संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी के वैयक्तिक खाता (Personal Ledger Account) में 23 अपूर्ण निर्माण कार्यों से संबन्धित ` 45.84 लाख की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पी एल ए में तथा इकाई के बैंक खाता संख्या 4201001610 उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, पौड़ी में ` 26.88 लाख की धनराशि विगत तीन वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरुद्ध पड़ी थी।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त अवशेष धनराशि ` 45.84 लाख को कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत करते हुए अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा जो धनराशि ` 26.88 लाखपाँच वर्षों से भी अधिक अवधि से बैंक खाते में अवरुद्ध है, के संबंध में उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करते हुए शीघ्र ही विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक तरफ तो इकाई स्तर पर वर्ष 2014-15 में स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष 23 निर्माण कार्यों को अपूर्ण रखते हुए ` 45.84 लाख की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पी एल ए में अवरुद्ध रखी गई वहीं दूसरी तरफ ` 26.88 लाख की धनराशि जो वर्ष 2013-14 से पूर्व के वर्षों की है इकाए स्तर पर संचालित बैंक खाते मे पाँच वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरुद्ध रखी गई थी।

अतः अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबन्धित ` 72.72 लाख की धनराशि तीन वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-4: 2617 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृति के लाभ से वंचित रखा जाना

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभागीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का कियान्वयन भारत सरकार के **पोर्टल** (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निम्न तालिका के अनुसार निर्गत किये गये थे।

क्रम संख्या	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अंतिम तिथि
1.	छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	15.02.2018
2.	संबंधित शिक्षण संस्था के द्वारा प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों कों जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना।	28.02.2018
3.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की तिथि।	15.03.2018
4.	संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः त्रुटि ठीक कर आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने की तिथि।	15.03.2018
5.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जॉच जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना।	15.03.2018
6.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ई0 बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं की सूची संबंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	25.03.2018
7.	संबंधित कोषाधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण किया जाना।	31.03.2018

उक्त आदेश के क्रम में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौडी के दशमोत्तर छात्रवृति संबंधित पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 हेतु कुल 2617 छात्रों द्वारा पंजीकरण किया गया । उक्त छात्रों को यह धनराशि 31 मार्च 2018 तक उक्त आदेश के क्रम में आबंटित कर दी जानी चाहिए थी लेकिन वर्तमान (01/2019) तक कुल पंजीकृत छात्रों को छात्रवृति नही प्रदान की गई थी। जबकि उक्त छात्रों को छात्रवृत्रि प्रदान करने हेतू रूपये 143.33 लाख की धनराशि उपलब्ध थी।
उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इगिंत किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि on line सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योकि शासनादेशों के अनुसार 31 मार्च 2018 तक लाभार्थियों का भुगतान कर दिया जाना चाहिए था।

अतः वर्ष 2017–18 के 2617 छात्रों को छात्रवृति न वितरित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-5: वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹ 3.93 लाख का परिहार्य व्यय ।

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1547/36-4-दिनांक 30 मार्च 1990 के अनुसार ऐसे मामले जंहा पति / पत्नी दोनों पात्र है वहाँ नए प्रकरणो में पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेनशन अनुमान्य की जाय और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता की जाय । साथ ही उत्तराखंड शासनादेश के शासनादेश संख्या 883/ XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार एक परिवार में पति- पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलेगा किन्तु प्राथमिकता महिला लाभार्थी को प्रदान की जाएगी । वृद्धावस्था पेंशन की दरें समय-समय पर बदलती रही है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी के वृद्धावस्था पेंशन से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के विपरीत 26 मामलों में पति- पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान की गयी थी जो वर्तमान तक जारी थी (विवरण संलग्न)एवं शासनादेशों के विपरीत थी तथा जिस पर रुपये 393400 व्यय किया जा चुका था ।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उल्लिखित 26 लाभार्थियो की पेंशन वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा मत की स्वयमेव पुष्टि होती है।

अतः अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण 3.93 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	पूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
-	2006-07	-	1,2,3,4,5,6,7	-
-	2007-08	01	-	-
-	2009-10	1,2,3	01	-
28	2011-12	-	1,2,3	-
178	2013-14	-	01	1,2
01	2015-16	1,2,	1,2,3,4,5	1,2
127	2017-18	01	1,2,3,4,5,6,7,8	01
योग		**07**	**25**	**05**

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

...................शून्य.................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री रतन सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से 17.07.2018
2.	श्री सुनीता अरोरा	जिला समाज कल्याण अधिकारी	17.07.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.